भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 994
10.02.2025 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति

994. एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 2023 में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) की शुरुआत से इसके अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और पंजीकृत परियोजनाओं तथा उनकी श्रेणियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का मूल्यांकन किया है;
(ग) सरकार द्वारा वनीकरण, जैव-विविधता और वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जीसीपी को संरेखित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से देशज और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों तथा उनकी आजीविका की रक्षा करते हुए पर्यावरणीय समग्रता को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण के संबंध में स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाइयों, जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं और इस प्रयोजन के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) पोर्टल (https://moefcc-gcp.in/) भी विकसित किया है।

वर्तमान में, अवक्रमित वन भूमि की पारि-पुनर्बहाली के लिए वृक्षारोपण कार्यकलाप को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 02.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार देश में पंजीकृत भू-खंडों की राज्य-वार स्थिति **संलग्नक-I** में दी गई है।

मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, विशेषज्ञों, उद्योगों, अनुसंधानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किए हैं। वृक्षारोपण आधारित कार्यकलाप में ग्रीन क्रेडिट हेतु क्रियाविधियां तथा निगरानी, संसूचना और सत्यापन तंत्र विकसित करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया था। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में विस्तृत कार्यरीतियां (**संलग्नक-II**) जारी की गई हैं। जीसीपी की पारदर्शिता और जवाबदेही को क्रियाविधियों, दिशानिर्देशों और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से समर्थ बनाया गया है।

*****

संलग्नक-I

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत पंजीकृत भ-खंडों की स्थिति

(दिनांक 02.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत भू-खण्ड	
		संख्या	क्षेत्र (हे. में)
1.	आंध्र प्रदेश	745	11361.17
2.	असम	10	454.00
3.	बिहार	57	4108.71
4.	छत्तीसगढ़	94	1954.92
5.	गोवा	2	10.00
6.	गुजरात	342	6760.21
7.	हरियाणा	14	128.00
8.	झारखंड	343	5648.94
9.	कर्नाटक	38	1027.60
10.	मध्य प्रदेश	315	15218.94
11.	महाराष्ट्र	107	1572.55
12.	ओडिशा	106	1039.63
13.	राजस्थान	17	908.00
14.	तमिलनाडु	167	4708.40
15.	तेलंगाना	77	1738.02
16.	उत्तर प्रदेश	67	883.96
17.	उत्तराखंड	11	200.03
कुल		**2,512**	**57,722.64**

संलग्नक-II

फा.सं. एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम(पार्ट2)-भाग(1), ई-220847
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग
*****

तीसरा तल, पृथ्वी ब्लॉक
इंदिरा पर्यावरण भवन
जोर बाग रोड
नई दिल्ली - 110003
दिनांक : 22 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करने की कार्यरीति के संबंध में।

1. परिचय :

1.1 ग्रीन क्रेडिट नियमों को भारत सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के तहत उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत अपने मौजूदा या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं, करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ''वृक्षारोपण'' भी शामिल है।

1.2 प्रारम्भ में, वन विभाग के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत आने वाली अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में, वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट के लिए कार्यविधि की अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

1.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए निम्नलिखित कार्यरीति निर्धारित की जाती है।

2. कार्यरीति :

2.1 कार्यान्वयन एजेंसी का पंजीकरण :
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभाग/वन विकास निगम आवेदक वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रैंक का एक राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) प्रत्येक आईए द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रीन क्रेडिट आधार पर वृक्षारोपण के समग्र समन्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यान्वयन अधिकारी का पंजीकरण प्रत्येक आईए द्वारा प्रत्येक वन प्रभाग के लिए किया जाएगा। आईए, एसएनओ और आईओ का पंजीकरण जीसीपी पोर्टल पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, जिला, प्रभाग का नाम, अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, बैंक खाता का ब्यौरा आदि जैसे विवरण प्रदान करते हुए करना होगा।

2.2 भूमि के चयन के लिए मानदंड :

2.2.1 भूमि का प्रकार :

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत आने वाले अवक्रमित भूखण्ड जीसीपी के लिए पात्र होगें। केवल ऐसे भूखण्ड और वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र, जीसीपी पोर्टल में वृक्षारोपण ब्लॉक के रूप में पंजीकृत किए जाएंगे।

2.2.2 वृक्षारोपण का घनत्व :

स्थानीय सिल्वी-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1100 पेड़ लगाने की क्षमता वाले वृक्षारोपण ब्लॉक को पंजीकरण के लिए चुना जाएगा।

2.2.3 वृक्षारोपण ब्लॉकों का आकार :

प्रत्येक वृक्षारोपण ब्लॉक एक सघन क्षेत्र होगा जिसका न्यूनतम आकार 5 हेक्टेयर होगा।

2.2.4 अन्य शर्तें :

वृक्षारोपण ब्लॉक सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त होगा और प्रबंधन योजना/कार्य योजना के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाएगा।

2.3 वृक्षारोपण ब्लॉक का पंजीकरण :

उपरोक्त अनुसार वृक्षारोपण के लिए भूमि के चयन के बाद, वृक्षारोपण ब्लॉक का पंजीकरण आईए द्वारा पोर्टल पर स्व-प्रमाणन के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक वृक्षारोपण ब्लॉक को विशिष्ट आईडी के साथ अलग से पंजीकृत किया जाएगा।

2.4 इकाई/ग्रीन क्रेडिट आवेदक (जीसीए) का पंजीकरण :

सरकारी संस्थान (जैसे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, आदि), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राज्य और केंद्रीय), गैर-सरकारी संगठन, निजी कंपनियां/संगठन/संस्थाएं, परोपकारी, व्यक्ति, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का समूह वृक्षारोपण आधारित जीसीपी के तहत जीसीए के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा। जीसीए का पंजीकरण जीसीपी पोर्टल पर आवश्यक विवरण जैसे नाम और पता, पहचान का प्रमाण, सम्पर्क विवरण, पंजीकरण ब्यौरा आदि देकर किया जाएगा।

2.5 जीसीए द्वारा वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन :

ग्रीन क्रेडिट (जीसी) के लिए आवेदन करने के इच्छुक पंजीकृत जीसीए वृक्षारोपण के लिए भूखण्ड का आवेदन करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत वृक्षारोपण ब्लाक से आवेदन करेगा।

2.6 मांग पत्र तैयार करना :

संबंधित आईओ द्वारा वृक्षारोपण और उसके रखरखाव (पहले वर्ष में अग्रिम कार्य और लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 10वें वर्ष तक रखरखाव कार्य) के लिए प्रावधान रखते हुए भारतीय रूपए में दरों की अनुसूची के अनुसार अनुमान तैयार किया जाएगा। वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए अनुमान तैयार करते समय सभी आवश्यक प्रावधान तैयार किए जाने चाहिए। तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी/अनुमोदन और अन्य आवश्यक जानकारी के विवरण के साथ वृक्षारोपण अनुमान एसएनओ की जांच और अनुमोदन के लिए जीसीपी पोर्टल पर प्रदान किया जाएगा। एसएनओ के अनुमोदन के बाद, प्रशासक तकनीकी दृष्टिकोण से अनुमान की आगे जांच करेगा और निगरानी और सत्यापन के लिए

प्रशासनिक लागत (अनुमानित लागत का 10%) शामिल करके पोर्टल पर एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा (प्रशासक के उपयोग का तंत्र लागत प्रशासक द्वारा अलग से विकसित किया जाएगा)। इसके बाद, इकाई एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्रशासक के बैंक खाते में भुगतान करेगी। भुगतान करने के बाद, आईए औपचारिक रूप से जीसीए को भूखण्ड/वृक्षारोपण ब्लॉक आवंटित करेगा। अनुमान तैयार करने के साथ-साथ भुगतान करने का कार्य प्रशासक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

2.7 वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव :

संस्था से भुगतान प्राप्त होने के तुरंत बाद वृक्षारोपण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भुगतान प्राप्त होने के दो वर्ष के भीतर वृक्षारोपण पूरा करना सुनिश्चित करना आईए की जिम्मेदारी होगी। प्रशासक द्वारा निर्धारित मद-वार व्यय के साथ वृक्षारोपण और रखरखाव कार्यों के सभी विवरण, आईए और आईओ द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.8 ग्रीन क्रेडिट (जीसी) जारी करना :

चूंकि पहले वर्ष में अग्रिम कार्य किए जाते हैं और पौधे प्राप्त किए जाते हैं और दूसरे वर्ष में वृक्षारोपण किया जाता है, इसलिए इकाई से भुगतान प्राप्त होने के दो वर्ष बाद ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। चयनित ब्लॉकों में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या और आईए द्वारा ऑनलाइन तैयार किए गए वृक्षारोपण पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासक द्वारा इकाई को जीसी प्रदान किए जाएंगे। जीसीपी पोर्टल के माध्यम से एक मानक प्रारूप में प्रति पेड़ एक जीसी की दर से इकाई को जीसी आवंटित किए जाएंगे।

3. वृक्षारोपण की निगरानी और संपरीक्षा :

वृक्षारोपण रिकॉर्ड/विवरण प्रशासक द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में ऑनलाइन रखा जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी के फील्ड अधिकारियों द्वारा गहन निगरानी की जाएगी और पोर्टल पर एक निर्धारित प्रारूप में रिपोर्टिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीसीपी के तहत प्रचलित कार्यप्रणाली, दिशानिर्देशों, नियमों आदि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आईओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और संस्था/जीसीए इसके सदस्य होंगे। निगरानी समिति प्रशासक द्वारा निर्धारित जीसीपी पोर्टल पर अर्धवार्षिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। स्वतंत्र निगरानी के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया जाएगा। वृक्षारोपण के सत्यापन/निगरानी के लिए सत्यापनकर्ताओं की मान्यता/पैनलबद्धता के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। जीसीपी पोर्टल इसकी प्रगति को ट्रैक करेगा और उचित रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में अनुरक्षित किए जाएंगे।

4. लेखांकन और लेखापरीक्षा :

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए प्रशासक, एसएनओ, आईओ और संबंधित रेंज वन अधिकारी के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग बचत खाता खोला और अनुरक्षित किया जाएगा। जीसीए से भुगतान प्राप्त होने के बाद, प्रशासक वृक्षारोपण के अग्रिम कार्यों को पूरा करने के लिए एसएनओ को धनराशि जारी करेगा। बाद में वृक्षारोपण कार्य की प्रगति के अनुसार एसएनओ को धनराशि किस्तों में जारी की जाएगी। निधि प्रवाह तंत्र, निधि संवितरण, वित्तीय और लेखांकन प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा आदि के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।

5 जीसी के लाभ :

5.1 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, जैसा लागू हो, के तहत वनेतर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के अनुपालन के बदले जीसीपी के तहत शुरू किए गए वृक्षारोपण का विनिमय जा सकता है।

5.2 अर्जित जीसी का उपयोग लागू नियमों के अनुसार ईएसजी नेतृत्व संकेतक के तहत या सीएसआर के तहत रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-
(नमिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
ईमेल: nameeta.prasad@gov.in
दूरभाष: 011-20819324

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार

प्रतिलिपि :

1. सचिव के वरिष्ठ पीपीएस/डीजीएफ और एसएस के पीपीएस/अपर डीजीएफ (एफसी) के पीपीएस
2. प्रधान सचिव (वन), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
4. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, प्रभारी जीसीपी
5. महानिदेशक, आईसीएफआरई
6. वन महानिरीक्षक, एनएईबी
7. सीईओ, एनसीएएमपीए/एडीजी (एफसी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पीपीएस
8. एनआईसी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर एक प्रति अपलोड करने के अनुरोध सहित।